FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा) राज.

APP
.Cri

ज अदालम SDO कलेक्टर [illegible] मुकाम बसवा

.... दीपा सैनी वगै. .... बनाम .... कंहैयालाल वगै.

म मुकदमा .... प्रा. पत्र T.I. .... नं. .... सन 103/2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15.6.2023 प्रश्नगत प्रकरण वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादीगण दीपा सैनी पत्नी स्व. छोटेलाल सैनी वगैरह जाति माली निवासी देवतलाव, बसवा द्वारा जरिये एडवोकेट श्री सत्यनारायण शर्मा एवं मुकेश चंद शर्मा के विरूद्ध अप्रार्थीगण कंहैयालाल पुत्र पांचू वगैरह जाति माली निवासी देवतलाव मौहल्ला, बसवा के इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बसवा के खाता संख्या 132 के खसरा नंबर 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195 कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैटयर एवं बसवा के ही खाता संख्या 138 खसरा नंबर 8431, 8449, 8450, 8451 कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 हैक्टयर भूमि मुतदाविया है । इस भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण हिस्सानुसार काबिज काश्त हैं ! भूमि गुतदाविया का सरस नरस तकास्मा एवं अन्य राजस्व कार्यवाहियों के लिये दावा पेश किया है । साथ ही भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम रूप से जारी किये जाने का निवेदन किया है । अतः प्रकरण दर्ज रजि. होकर, अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते तामील रजिस्टटर्ड ए.डी. के जारी होकर, पत्रावली आगामी तारीख 3.8.2023 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
	3/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन / P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 4/8/23 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर	
4/8/23	पत्रावली पेश हुई । Advocate श्री मुकेश चन्द शर्मा उप० आए, प्रकरण Not Press में खारिज करने का निवेदन किया, प्रकरण Not Press में खारिज किया जाकर, फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर कर नम्बर से कम की जाती है । [signature] उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	Not Press [signature] 4-8-23 (मुकेशचन्द शर्मा एड.)

Technova NovaDoc USR 0110225590 20101 03 0